



अंत्योदय सरल



अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग मुख्य मंत्री विवाह शगुन योजना

पात्रता

- प्रार्थी हरियाणा राज्य का स्थाई निवासी हो।
- 1.80 लाख रुपये हो या इस से कम वार्षिक आय वाले परिवार।
- विधवा/तलाकशुदा महिला स्वयं के पुनर्विवाह हेतु भी अनुदान प्राप्त कर सकती है बशर्ते वह स्कीम की अन्य शर्तें पूरी करती हो और उसने अपनी शादी हेतु पहले अनुदान न लिया हो।
- शादी की तिथि को वधू की आयु 18 वर्ष व वर की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए।

लाभ

- | | |
|---|----------|
| ● अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति/टपरीवास जाति के लोगों की
(1.80 लाख लड़कियों की शादी रूपये हो या इस से कम वार्षिक आय) | 71,000/- |
| ● समाज के सभी वर्गों की विधवाओं/तलाकशुदा/अनाथ/बेसहारा
औरतों तथा बेसहारा औरतों तथा बेसहारा बच्चों व उनकी लड़कियों
की शादी हेतु (1.80 लाख रुपये हो या इस से कम वार्षिक आय) | 51,000/- |
| ● महिला खिलाड़ी किसी भी आय वर्ग को उनकी स्वयं की शादी हेतु
(1.80 लाख रुपये हो या इस से कम वार्षिक आय) | 41,000/- |
| ● सामान्य वर्ग व पिछड़े वर्ग की लड़कियों की शादी हेतु तथा समाज
की सभी वर्गों की लड़कियों की शादी हेतु (अनुसूचित जाति व पिछड़े
वर्ग सहित) 1.80 लाख रुपये हो या इस से कम वार्षिक आय वाले परिवार | 41,000/- |
| ● 40 प्रतिशत दिव्यांग (1.80 लाख रुपये हो या इस से कम वार्षिक आय) | |
| 1. यदि जोड़े में से (पति पत्नी) दोनों दिव्यांग हो तो | 51,000/- |
| 2. यदि जोड़े में से (पति या पत्नी) कोई एक दिव्यांग हो तो | 41,000/- |



अंत्योदय सरल



आवश्यक दस्तावेज़

- वर/वधू की जन्म तिथि का प्रमाण।
- जाति का प्रमाण।
- रिहायसी प्रमाण पत्र की फोटो प्रति।
- आधार लिंक बैंक पास बुक की फोटो प्रति।
- राशन कार्ड की फोटो प्रति दोनों साइड से।
- आवेदनकर्ता का आधार कार्ड।
- लड़की व लड़के का आधार कार्ड की प्रति।
- आय का प्रमाण पत्र
- लड़का व लड़की की फोटो।
- शादी का कार्ड।
- मृत्यु प्रमाण पत्र यदि प्रार्थी विधवा है तो।
- माता व पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटो प्रति यदि लड़की अनाथ हो।
- मैडिकल प्रमाण पत्र यदि प्रार्थी विकलांग हो तो।

सेवा के लिए फीसें

सरकारी प्रभार	सेवा प्रभार	अटल सेवा केंद्र सेवा प्रभार
कोई फीस नहीं	₹0 10/-	₹0 10/-

सेवा का अधिकार समय सीमा:

30 दिन